संख्या- 178 / 2024 /1011 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2024

विषय:- उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी के विभिन्न कार्यों हेतु हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5095/सं0नि0-20(पुनर्वि0)/2023-24, दिनांक 15 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी के विभिन्न कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी के पूर्व में हो चुकी बोरिंग के कार्य के अवशेष भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 07- उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी -20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 7.50 लाख (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार रू0 7.50 लाख को संक्रमित कर पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति- 101- ललित कला शिक्षा-07- उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी -20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 178 /2024 / 1011 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-1011- 2024- Culture SNA Digitization Reapp

विषय:- उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में विभिन्न कार्यों हेतु रू0 356.46 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001020600 (बेगम अख्तर पुरस्कार)	42 (अन्य व्यय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	2023-2024
092	2205001020400 (भारतरत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	82,50,000 रुपये बयासी लाख पचास हजार मात्र	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	0	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	2023-2024
092	2205001012600 (सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" स्मृति पुस्तकालय एवं सभागार का रख-रखाव एवं संचालन)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	0	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	2023-2024
092	2205001011700 (आयोध्या शोध संस्थान को अनुदान-)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	72,10,000 रुपये बहत्तर लाख दस हजार मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	0	72,10,000 रुपये बहत्तर लाख दस हजार मात्र	2023-2024
092	2205001010900 (कत्थक केन्द्र, लखनऊ के विकास के लिये अनुदान-)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	68,32,000 रुपये अड़सठ लाख बत्तीस हजार मात्र	19,78,000 रुपये उन्नीस लाख अठहत्तर हजार मात्र	19,78,000 रुपये उन्नीस लाख अठहत्तर हजार मात्र	0	68,32,000 रुपये अड़सठ लाख बत्तीस हजार मात्र	2023-2024
092	2205001010800 (भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	2,92,31,000 रुपये दो करोड़ बयान्वे लाख इकतीस हजार मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	0	2,92,31,000 रुपये दो करोड़ बयान्वे लाख इकतीस हजार मात्र	2023-2024
092	2205001010700 (उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	1,91,27,000 रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख सत्ताईस हजार मात्र	61,27,000 रुपये इकसठ लाख सत्ताईस हजार मात्र	61,27,000 रुपये इकसठ लाख सत्ताईस हजार मात्र	0	1,91,27,000 रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख सत्ताईस हजार मात्र	2023-2024
092	2205001010600 (उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	1,16,13,000 रुपये एक करोड़ सोलह लाख तेरह हजार मात्र	46,00,000 रुपये छियालीस लाख मात्र	46,00,000 रुपये छियालीस लाख मात्र	0	1,16,13,000 रुपये एक करोड़ सोलह लाख तेरह हजार मात्र	2023-2024
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	09 (विद्युत देय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	0	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	1,10,25,000 रुपये एक करोड़ दस लाख पच्चीस हजार मात्र	22,41,000 रुपये बाईस लाख इकतालीस हजार मात्र	22,41,000 रुपये बाईस लाख इकतालीस हजार मात्र	0	1,10,25,000 रुपये एक करोड़ दस लाख पच्चीस हजार मात्र	2023-2024
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	01 (वेतन)	2,45,00,000 रुपये दो करोड़ पैंतालीस लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	0	2,45,00,000 रुपये दो करोड़ पैंतालीस लाख मात्र	2023-2024
कुल					₹ 3,56,46,000	₹ 7,50,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001010700 (उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,15,00,000 रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख मात्र	3,56,46,000 रुपये तीन करोड़ छप्पन लाख छियालीस हजार मात्र	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	2,22,50,000 रुपये दो करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 3,56,46,000	₹ 7,50,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-783-E-7-761-X-2023-24-दिनांक:22-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 178 /2024 / 1011 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in